from time to time o ensure that minimum rates of wages are not only reviewed periodically, but also to ensure that various provisions of the Minimum Wages Act are implemented effectively.

बोनस अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों द्वारा देय बोनस

2240. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने उद्योगों द्वारा बोनस के भुगतान की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की है ;

(ख) क्या कुछ उद्योग सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक बोनस देते हैं ;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान बोनस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(घ) सरकार इन उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाई करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबंधों के अंतर्गत 2500 रु० प्रतिमाह तक मजदूरी/वेतन पाने वाले कर्मचारी बोनस पाने के हकदार हैं जिसकी न्यूतम दर कर्मचारी द्वारा लेखा वर्ष के दौरान अर्जित मजदूरी/वेतन का 8.33% या 100 रु०, जो भी अधिक हो, और उच्च तथा अधिकतम दर लेखा वर्ष के दौरान उसके द्वारा अर्जित मजदूरी/वेतन का 20% है । यदि किसी कर्मचारी की मजदूरी/वेतन एक हजार छै सौ रुपए प्रति माह से अधिक हो तो उसको देय बोनस का आकलन इस प्रकार किया जाएगा मानों उसकी मजदूरी या वेतन एक हजार छै सौ रुपए प्रति माह है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र का कोई उद्योग बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में निर्धारित सीमा से अधिक बोनस का भुगतान नहीं करता है । तथापि, कुछ उद्योगों में कर्मचारियों को अनुग्रह या प्रोत्साहन राशि के रूप में निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान किया जाता है । जिन उद्योगों के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं, वहां केन्द्र सरकार द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है ।

(ग) और (घ) उपयुक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Enhancing the income of industrial Labourers

2241. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the total number of industrial labourers in the country and also those working in public sector units;

(b) what is their average monthly earning; and

(c) what steps are being taken to enhance their income?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) Estimated average daily number of workers employed in working factories and in public sector factories registered under the Factories Act, 1948 are as under:—

(in lakhs)

Particulars	Years		
	1986*	1987*	1988*
(a) All Factories	77.95	78.75	79.08
(b) Public Sectors Factories	19.11	19.80	19.92

*Provisional